

प्रेस नोट दिनांक 04.02.2021

1. दिनांक 03.02.2021 को वादी श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र घनश्याम गुप्ता नि० लाल बाग नई कालोनी थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आनन्द पुत्र अज्ञात नि० विश्वकर्मा बिल्डिंग वर्क्स थाना को०नगर अयोध्या आदि 05 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी व उसके मित्र को लाठी डण्डे से मारना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 75/21 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 03.02.2021 को वादी श्री विजय शंकर जायसवाल पुत्र स्व० गौरीशंकर जायसवा नि० कौशलपुरी फेज-1 थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विराट यादव पता अज्ञात आदि 05 नफर अभि०गण द्वारा दुकान बंद होने के बाद शराब की मांग करना, न देने पर एक राय होकर दुकान के अन्दर घुसकर गाली व जान माल की धमकी देते हुए तोड़फोड़ करना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 77/21 धारा 147, 323, 504, 452, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 03.02.2021 को वादी श्री आदित्य सिंह नि० डी-56 औद्योगिक क्षेत्र थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बलराम निषाद पता अज्ञात व 02 अज्ञात व्यक्ति अभि०गण द्वारा शराब के नशे में गाली देना तथा हैलोजन लाइट तोड़ देना व घर के नौकर को जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 49/21 धारा 504, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 03.02.2021 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुन्दर मांझी पुत्र नन्दू मांझी नि० गोडियाना तिहुरा मांझा थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 51/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 03.02.2021 को वादी हे०का० राजेश यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बृजभान पुत्र स्व० राम अधीन नि० बाला पैकौली थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 39/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 03.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री राम अवतार राम थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामदेव तिवारी पुत्र विजय बहादुर तिवारी नि0 धमौलिया थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 1450 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 39/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 03.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेन्द्र शुक्ला पुत्र श्याम सुन्दर शुक्ला नि0 गुजरामऊ थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 40/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 03.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजय यादव पुत्र राम अजोर नि0 घुरेहटा थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 41/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

9. दिनांक 03.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामलाल पुत्र हीरालाल नि0 जरायल कला थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 20/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 03.02.2021 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हीरालाल पुत्र जय विजय नि0 मुरली का पुरवा थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 21/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।